पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जनवरी, 2022 ई0 (पौष 25, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–03

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	55–99	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	23–25	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	03–04	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

10 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 29/नो0एम0/XXXVI-A-1/2021-13 नो0एम0/2004–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट, अधिवक्ता को दिनांक.........–12–2021 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 29/No-M/XXXVI-A-1/2021-13 No.-M/2004** Dated- December 10, 2021.

NOTIFICATION

Appointment

December 10, 2021

No. 29/No-M/XXXVI-A-1/2021-13 No.-M/2004-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Harish Chandra Singh Bisht, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 10-12-2021 for Tehsil Khatima, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Harish Chandra Singh Bisht be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

10 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 30/नो0एम0/XXXVI-A-1/2021-13 नो0एम0/2004–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनोज सिंह राना, अधिवक्ता को दिनांक.....–12–2021 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मनोज सिंह राना का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 30/No-M/XXXVI-A-1/2021-13 No.-M/2004** Dated- December 10, 2021.

NOTIFICATION

Appointment

December 10, 2021

No. 30/No-M/XXXVI-A-1/2021-13 No.-M/2004-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Manoj Singh Rana, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 10-12-2021 for Tehsil Khatima, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Manoj Singh Rana be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

RAJENDRA SINGH,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1

पदोन्नति/तैनाती

08 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1258/XIII-1/2021-3(08)2011–कृषि विभाग, उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (सांख्यिकी शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित/उपान्तरित आदेश 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री बृजमोहन शर्मा को तत्काल प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा) में चयन वर्ष 2020–21 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/पुनरीक्षित वेतनमान–56100–177500 (लेबल–10) में नियमित पदोन्नति करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पदनाम/तैनाती स्थल	प्रोन्नति उपरान्त पदनाम/तैनाती स्थल
1.	श्री बृजमोहन शर्मा	अपर सांख्यिकी अधिकारी, कृषि निदेशालय, देहरादून।	सहायक निदेशक, कृषि सांख्यिकी, मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून

2– श्री बृजमोहन शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद व नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल योगदान कर कार्यभार प्रमाणक शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

खेलकूद अनुभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

11 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 468/VI-3/2021-1(15)2007–"उ0प्र0 खेलकूद निदेशालय" (राजपत्रित) सेवा नियमावली–1986 एवं यथा–संशोधित नियमावली, 1988 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं "विभागीय पदोन्नति समिति" की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री सुनील कुमार डोभाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से सहायक निदेशक (वेतनमान ₹ 56100–177500 (7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल–10) के रिक्त पद पर पदोन्नत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– सम्बन्धित अधिकारी की तैनाती रिक्त पद के सापेक्ष खेल निदेशालय में करते हुये निर्देशित किया जाता है कि नवीन तैनाती के स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

एस0ए0 मुरूगेशन,
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2

पदोन्नति/विज्ञप्ति

12 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 982/XXIV-2/2021-12(07)/2009–एतद्द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के अन्तर्गत सेवारत निम्नलिखित उप शिक्षा निदेशक (वेतन मैट्रिक्स ₹ 78800–209200 लेवल–12) को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक (वेतन मैट्रिक्स ₹ 123100–215900 लेवल–13) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:–

1. श्री मदन सिंह रावत,
2. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत,
3. श्री सुभाष चन्द्र भट्ट,
4. श्री विनोद प्रसाद सेमल्टी,
5. श्री गजेन्द्र सिंह सोन,
6. श्री कुलदीप गैरोला,
7. श्री कुंवर सिंह,
8. श्री चित्रानन्द काला,
9. श्री आनन्द भारद्वाज,
10. श्री नवीन चन्द्र पाठक,
11. श्री यशवन्त सिंह चौधरी,

2– उपरोक्त पदोन्नति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन है:–

i. उक्त सेवा संवर्ग में वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में यदि मा0 न्यायालय में कोई रिट याचिका विचाराधीन हो तो, उक्त पदोन्नति उस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

ii. पदोन्नत पद का वेतन/भत्ते आदि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।

डॉ0 बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2021 ई०

संख्या **1286/XXVIII-1/01(61)2021**–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–पी0ए0–डी0जी0एम0एच0/2021/671, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या–365, दिनांक 26.03.2021 द्वारा नियुक्त डा0 अनिल कुमार, साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, रूड़की, हरिद्वार की नियुक्ति के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि डा0 अनिल कुमार की एस0सी0बी0 मेडिकल कॉलेज, कटक, उड़ीसा से ली गयी एम0बी0बी0एस0 की डिग्री एवं पंजीकरण के सम्बन्ध में जांच किये जाने हेतु उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल को पत्र प्रेषित किया गया।

2– जिसके क्रम में उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा अवगत कराया गया है कि डा0 अनिल कुमार के प्रमाण–पत्रों की जांच के क्रम में एस0सी0बी0 मेडिकल कॉलेज, कटक, उड़ीसा से सम्पर्क किया गया तो कॉलेज द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 अनिल कुमार को उक्त संस्थान से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री प्रदान नहीं की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि डा0 अनिल कुमार द्वारा कूटरचित करके एम0बी0बी0एस0 के प्रमाण–पत्र बनाये गये हैं।

3– उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या–365/XXVIII–1/21–01(10)2019, दिनांक 26.03.2021 द्वारा डा0 अनिल कुमार पुत्र श्री प्रेमलाल नौटियाल को साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी, वेतनमान–रू0 56,100–1,77,500 लेवल–10 के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। उक्त नियुक्ति आदेश के प्रस्तर–1(2) में स्पष्ट उल्लिखित है कि "चयनित चिकित्साधिकारियों का चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन पृथक से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा कराया जायेगा। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना महानिदेशक द्वारा तत्काल शासन को प्रेषित की जायेगी।"

4– डा0 अनिल कुमार एम0बी0बी0एस0 की वैध डिग्री धारित नहीं करते हैं, उनके द्वारा कूटरचित करके एम0बी0बी0एस0 के प्रमाण पत्र बनाये गये हैं। अतः उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 के नियम–8(1) के अनुसार श्री अनिल कुमार भर्ती हेतु अर्ह नहीं है। अतः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्त पत्र दिनांक 22.10.2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 के नियम–8 एवं उक्त अधिसूचना संख्या–365, दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर–1(2) परिप्रेक्ष्य में डा0 अनिल कुमार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5– डा0 अनिल कुमार के विरूद्ध कोई शासकीय धनराशि आदि बकाया होने की दशा में, उसकी वसूली नियमानुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

आज्ञा से,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

25 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1475/II(1)/2021-01(29)(18)/2011-15–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ/अपर सहायक अभियंता (सिविल) वेतनमान रू0 44900–142400 पे मैट्रिक्स–7 से सहायक अभियंता (सिविल) वेतनमान रू0 56100–177500 पे मैट्रिक्स–10 के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–200/03/E–4/DPC/2021–22 दिनांक 08.11.2021 द्वारा नियमित चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 56100–177500 पे मैट्रिक्स–10 मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

चयन वर्ष 2020–21

1. श्री भगत सिंह रावत
2. श्री सुरेन्द्र कुमार
3. श्री श्याम सिंह
4. श्री नरेन्द्र सिंह
5. श्री ललित मोहन कश्यप
6. श्री लोकेश कुमार
7. श्री रमेश चन्द्र
8. श्री राजपाल सिंह
9. श्री मलकेश्वर लाल
10. श्री सुनील कुमार गौतम
11. श्री अनिल कुमार
12. श्री राम लाल
13. श्री सुनील कुमार
14. श्री नारायण राम
15. श्री मंगल सिंह
16. श्री विनोद कुमार
17. श्री सुधीर कुमार
18. श्री सुबोध सिंह
19. श्री शिव कुमार

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा साथ ही इनके पदस्थापना सम्बंधी आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. इस सम्बन्ध में आयोग की संस्तुति के क्रम में उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या–265/SB/2018 श्री विनोद कुमार बनाम राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

26 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1476/II(1)/2021-01(34)/2012—सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान रू0 44900—142400 पे मैट्रिक्स—7 से सहायक अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान रू0 56100—177500 पे मैट्रिक्स—10 के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या—201/07/E–4/DPC/2021—22 दिनांक 08.11.2021 द्वारा नियमित चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर चयन वर्ष 2020—21 के अन्तर्गत श्री आनन्द सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर वेतनमान रू0 56100—177500 पे मैट्रिक्स—10 मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. इस सम्बन्ध में उक्त पदोन्नत कार्मिक द्वारा वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना सम्बंधी आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड C–64 नेहरू कॉलोनी देहरादून।

कार्यभार प्रभार प्रमाणन

01 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांक संख्या 3713/BOCW/2021—उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के निर्गत अधिसूचना संख्या अर्धशा0प0सं0 738/XXX–1–2021 दिनांक 30 नवम्बर 2021 अनुरूप आज दिनांक 01.12.2021 को पूर्वान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,

चन्द्रेश कुमार यादव,
सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन/
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य
संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
देहरादून।

सहकारिता, गन्ना, चीनी अनुभाग—1

आदेश/पदोन्नति

02 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1182/XIV-1/21-3(54)/2010—सहकारिता विभाग में सहायक निबन्धक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री मान सिंह सैनी को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड (वेतनमान रू0 67700—208700, पे मैट्रिक्स—11) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

1. श्री मान सिंह सैनी को उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

2. श्री मान सिंह सैनी, उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की तैनाती उप निबन्धक, सहकारी समितियां, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पद पर की जाती है।

आज्ञा से,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

अधिसूचना/सेवानिवृत्ति

06 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1432/II(1)/2021-01(22)2018–वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 के खण्ड (ग) एवं शासनादेश संख्या–1844/कार्मिक–2/2002 दिनांक 09 अप्रैल, 2003 के अन्तर्गत श्री योगेश पाल, अधिशासी अभियन्ता, परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की को उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिये गये नोटिस दिनांक 19 जून, 2021 तथा तदक्रम में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–शा0–786/प्र0अ0/सिं0वि0/का–1/ई–4/सामान्य दिनांक 16 अप्रैल 2021 एवं पत्र संख्या–1960/प्र0अ0/सिं0वि0/का–1/ई–4/सामान्य दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री योगेश पाल को दिनांक 21 जून, 2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन एवं धार्मिक मेला अनुभाग

अधिसूचना

09 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 842/VI/2018-82(6)2016 T.C-3–श्री राज्यपाल संस्कृति विभाग में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) के अन्तर्गत राज्य के समस्त हितधारकों/प्रयोगकर्ताओं के उपयोग एवं परिवार के सदस्यों की पहचान/सत्यापन हेतु "उत्तराखण्ड अधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–04, वर्ष 2018)" की धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आधार संख्या का प्रयोग किये जाने हेतु निम्न योजनाओं को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

केन्द्र पोषित योजनायें

1. कला एवं अन्य विधाओं से जुडे विभिन्न कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

राज्य पोषित योजनायें

1. वृद्ध कलाकरों, लेखकों को मासिक पेंशन।
2. धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थाई निवासियों को आर्थित सहायता।
3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता।
4. लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं डाक्यूमेन्टेशन का कार्य।
5. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा का क्रय।
6. पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा का निःशुल्क वितरण।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

सूचना अनुभाग–1

11 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 430/XXII(1)/2021/1(11)15–राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात–

उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. 1(क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2. (2) उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (जिसे एत्स्मिनपश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के उपनियम (2) के खण्ड (एक), (तीन), (चार), (सात) एवं (चौदह) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्दारा प्रतिस्थापित खण्ड
6(2)	(एक) चैनल प्रतिदिन कम से कम 16 घण्टे अवधि में (प्रातः 7AM से 11PM) न्यूनतम एक वर्ष से प्रसारित हो रहा हो।	(एक) चैनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में न्यूज चैनल की श्रेणी में अनुज्ञापित हो तथा न्यूनतम एक वर्ष से प्रसारित हो रहा हो।
	(तीन) चैनल का नियमित प्रसारण हो रहा है, के सम्बन्ध में EMMC (GOI) (Electronic Media Monitoring center) या राज्य के मनोरंजन कर आयुक्त की रिपोर्ट अथवा महानिदेशक द्वारा निर्धारित कोई प्रतिष्ठित संस्था की रिपोर्ट।	(तीन) विलोपित।
	(चार) चैनल द्वारा उत्तराखण्ड पर आधारित न्यूनतम कुल 80 मिनट का न्यूज बुलेटिन प्रतिदिन तीन माह से प्रसारित हो रहा हो। 80 मिनट की अवधि में Talk Show/Interview तथा विज्ञापन सम्मिलित नहीं होंगे।	(चार) चैनल द्वारा उत्तराखण्ड पर आधारित 30–30 मिनट के न्यूनतम 03 बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित हो रहा हो, जिसके सम्बन्ध में चैनल को आवेदन की तिथि से 03 माह पूर्व के न्यूज बुलेटिनों की फुटेज उपलब्ध करानी होगी।
	(सात) केबल प्रसारण की सत्यता की जांच सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला सूचना अधिकारी अथवा	(सात) केबल में प्रसारण की सत्यता के सम्बन्ध में चैनल को केबल आपरेटरों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर

जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा कराई जायेगी। सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी/ मनोरंजन कर अधिकारी की रिपोर्ट व चैनल के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में भिन्नता होने पर अंतिम निर्णय महानिदेशक सूचना का मान्य होगा।	जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कर सूचीबद्धता किये जाने हेतु अभिलेख के रूप में विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा। उक्त प्रारूप महानिदेशक सूचना द्वारा पृथक से निर्धारित किया जायेगा।
(चौदह) सूचीबद्वता के लिए उपरोक्त मापदण्डो के कतिपय बिन्दुओ पर मा0 मुख्यमंत्री/ विभागीय मंत्री उत्तराखण्ड स्वविवेक के आधार पर शिथिलता प्रदान करते हुए चैनल को सूचीबद्व कर सकते है।	(चौदह) सूचीबद्धता के लिए उपरोक्त मापदण्डों पर प्रशासकीय विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री/ विभागीय मंत्री के अनुमोदन से शिथिलता प्रदान करते हुए चैनल को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

नियम 7 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 में –

(i) उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्दारा प्रतिस्थापित उपनियम
7. दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना	7. दर निर्धारण करना
(1) महानिदेशक द्वारा चैनल को तीन टाइम बैण्ड में विज्ञापन निर्गत किया जायेगा। (एक) प्राईम टाईम बैण्ड (5 PM to 11 PM) (दो) द्वितीय टाईम बैण्ड (12 PM to 4.59PM) (तीन) तृतीय टाईम बैण्ड (7 AM to 11.59 AM) महानिदेशक को निर्णय करने का अधिकार होगा कि किसी चैनल को किस टाइम बैण्ड में विज्ञापन प्रसारित कराया जाय।	(1) विभाग द्वारा किसी भी समय अवधि के लिए विज्ञापन निर्गत किया जा सकता है।

(ii) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(2) विभागीय दरें चार श्रेणी में होंगी :–	(2) विभागीय दरें चार श्रेणी में होंगी :–
क) 1200 रुपये प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	क) 1200 रुपये प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :
(एक) चैनल उत्तराखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में (जिनकी जनसंख्या 10 हजार या अधिक हो) न्यूनतम 15 क्षेत्रों में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो	(एक) चैनल उत्तराखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में (जिनकी जनसंख्या 10 हजार या अधिक हो) न्यूनतम 15 क्षेत्रों में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो,
और	और
(दो) न्यूनतम 4 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो	(दो) न्यूनतम 4 डी.टी.एच सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।
और	और
(तीन) Number of OB ven न्यूनतम 1 हो, जो महानिदेशक सूचना द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यशील कर दी जाएगी।	(तीन) Number of OBvan/ Portable LIVE View न्यूनतम 1 हो,
और	और
(चार) Davp Empanelment अनिवार्य है।	(चार) Davp Empanelment अनिवार्य है।
और	और
(पॉच) Channel on air 24 घण्टे अनिवार्य है।	(पॉच) Channel 24 घण्टे on air अनिवार्य है।
(ख) रू. 800 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	(ख) रू. 800 प्रति 10सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें
(एक) न्यूनतम 9 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) तथा परिशिष्ट "क" में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रो में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो	एक) न्यूनतम 13 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) तथा परिशिष्ट "क" में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रो में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो

अथवा	अथवा
(दो) न्यूनतम 9 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) पर केबिल आपरेटरों तथा न्यूनतम 03 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।	(दो) विलोपित।
अथवा	अथवा
न्यूनतम 04 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।	न्यूनतम 03 DTH सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।
(ग) रू. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	**(ग) रू. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**
(एक) न्यूनतम 6 जिला मुख्यालयों (राज्य मुख्यालय सहित) पर तथा परिशिष्ट "क" में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केंबल टी वी पर प्रसारित हो रहा हो	(एक) न्यूनतम 13 जिला मुख्यालयों पर (राज्य मुख्यालय सहित) पर तथा परिशिष्ट "क" में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केबल टी वी
अथवा	अथवा
(दो) न्यूनतम 6 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) पर केबिल आपरेटरों तथा न्यूनतम 2 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।	(दो) विलोपित।
अथवा	अथवा
3 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो	न्यूनतम 02 DTH सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।
(घ) रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	**(घ) रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**
नियम 6 की शर्तें पूर्ण होने पर महानिदेशक सम्बन्धित चैनल को न्यूनतम दर अनुमन्य कर सकते हैं।	न्यूनतम 01 DTH सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।

अन्य नियमों को कमांकित किया जाना

4. मूल नियमावली में नियम 7 के उपनियम (2) के खण्ड (घ) के पश्चात् विद्यमान नियम को नियम 8 के रूप में कमांकित कर दिया जायेगा तथा नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) विलोपित	8. (एक) विलोपित

(दो) पुनः इस सशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्ध चैनलों को आगामी 30 सितम्बर 2016 तक पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनल जो नई दरें प्राप्त कराना चाहते है उन्हे नई सूचीबद्वता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।	(दो) इस सशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में सूचीबद्व चैनलों की सूचीबद्धता 6 माह तक के लिए मान्य/विस्तारित एवं सीमित होगी। विभाग में सूचीबद्ध चैनलों को नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अवधि में पुनः सूचीबद्धता आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचीबद्धता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप महानिदेशक, सूचना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
(तीन) दरों में वृद्धि हेतु पुनरीक्षण कम से कम तीन वर्षों के अंतराल पर होगा। विभागीय सूचीबद्धता समिति की संस्तुति पर पुनरीक्षित दरें प्रशासकीय विभाग की अनुमति के उपरांत ही लागू होंगी। दरों में कमी हेतु विभागीय सूचीबद्धता समिति की संस्तुति पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय कभी भी लिया जा सकता है	(तीन) चैनलों की दरों में वृद्धि अथवा कमी हेतु विभागीय स्तर पर सूचीबद्वता के लिए नियमावली के प्रस्तर–4 में गठित संचालन समिति द्वारा चैनलों की दरों में वृद्वि अथवा कमी चैनल के डीटीएच सेवाओं में वृद्वि अथवा कमी तथा केवल प्रसारण में वृद्वि अथवा कमी के आलोक में प्रस्तर–7 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय कभी भी लिया जा सकेगा।
(चार) विज्ञापन फिल्मों के 15 सेकेण्ड, 25 सेकेण्ड, 35 सेकेण्ड, 45 सेकेण्ड आदि होने पर प्रोराटा आधार पर दरें लागू होंगी।	(चार) विज्ञापन फिल्मों के 15 सेकेण्ड, 25 सेकेण्ड, 35 सेकेण्ड, 45 सेकेण्ड आदि होने पर प्रोराटा आधार पर दरें लागू होंगी।
(पांच) विलोपित	(पांच) विलोपित
(छः) महानिदेशक सूचना एक बार में अधिकतम तीन करोड़ रुपये के विज्ञापन अभियान (कैम्पेन) स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे। इससे अधिक राशि का विज्ञापन अभियान राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया	(छः) विलोपित।
(सात) विज्ञापनों के भुगतान की अंतिम स्वीकृति महानिदेशक द्वारा दी जायेगी।	(सात) विज्ञापनों के भुगतान की अंतिम स्वीकृति महानिदेशक द्वारा दी जायेगी।

(आठ) भुगतान के पूर्व चैनल द्वारा विज्ञापन प्रसारण को प्रमाणित करने वाला Telecast Certificate और उसकी सत्यता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस विषय में महानिदेशक द्वारा यथावश्यकता समय–समय पर निर्देश जारी किया जायेगा।	(आठ) भुगतान के पूर्व चैनल द्वारा विज्ञापन प्रसारण को प्रमाणित करने वाला Telecast Certificate और उसकी सत्यता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस विषय में महानिदेशक द्वारा यथावश्यकता समय–समय पर निर्देश जारी किया जायेगा।
(नौ) सामान्यतः विभाग द्वारा चैनल के विज्ञापन व्यवस्थापकों को सीधे विज्ञापन निर्गत किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक सूचना विज्ञापन जारी करने के लिये विभाग में सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसी की सेवा लेने का निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे।	(नौ) सामान्यतः विभाग द्वारा चैनल के विज्ञापन व्यवस्थापकों को सीधे विज्ञापन निर्गत किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक सूचना विज्ञापन जारी करने के लिये विभाग में सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसी की सेवा लेने का निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे।
(दस) यह नीति लागू होने के 6 माह के भीतर चैनलों को विज्ञापन जारी करने हेतु एडवरटाइजिंग एजेंसियों की सूचीबद्धता के लिये महानिदेशक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	(दस) विलोपित।
(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक नही होगा।	(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक नही होगा।
	(बारह) किसी प्रतिष्ठित चैनल को किसी विशेष परियोजना जैसे–कान्क्लेव/इवेन्ट आदि अथवा सूचना विभाग की आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों पर व्यावसायिक दर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के अनुमोदन उपरान्त महानिदेशक सूचना द्वारा विज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

(तेरह) चैनल द्वारा सूचीबद्वता हेतु दी गई सूचना अथवा तथ्य अथवा चैनल द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रदान की गई सूचना एवं अभिलेखों के असत्य पाये जाने अथवा आवश्यक अभिलेखों के पूर्ण न करने अथवा अन्य किसी दशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सूचीबद्धता समिति उपयुक्त समझे, तो चैनल की सूचीबद्वता निरस्त कर सकती है।

नियम 9. को कमांकित किया जाना	5	मूल नियमावली में नियम 8 को नियम 9 के रूप में कमांकित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

December 11, 2021

No. 430/XXII(I)/2021/1(11)15-- In exercise of power conferred by the proviso to Article 162 of the constitution of India, the Governor pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Electronic Media Advertising Accreditation Rules, 2015 (as amended from time to time), namely:-

The Uttarakhand Electronic Media Advertisement Accreditation (Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement	1	1(a) These rule may be called the Uttarakhand Electronic Media Advertisement Accreditation (Amendment) Rules, 2021. (b) It shall come into force at once.
Amendment of Rule6	2	(2) The Uttarakhand Electronic Media Advertisement Accreditation Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), for the clauses (i), (iii), (iv), (vii) and (xiv) of the subrule(2) of existing rule 6 set out in column-1 below the Clauses set out in column-2 shall be substituted namely-

	Column-1	**Column-2**
	Existing Clause	**Hereby Substituted Clause**
6 (2)	(i) The channel has been running for a minimum period of 16 hours (7AM to 11PM) per day for a minimum period of one year.	(i) The channel should be licensed under the category of News Channel in the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India and has been broadcasting for a minimum period of one year.

(iii) Report of the Commissioner of Entertainment Tax of the state or Electronic Media Monitoring Center (GOI) or any reputed organization as may be prescribed by the Director-General in respect of the channel being broadcast regularly.	(iii) Omitted
(iii) Report of the Commissioner of Entertainment Tax of the state or Electronic Media Monitoring Center (GOI) or any reputed organization as may be prescribed by the Director-General in respect of the channel being broadcast regularly.	(iii) Omitted
(iv) A minimum total 80 minutes news bulletin based on Uttarakhand is being broadcast by the channel daily for 3 months. The duration of 80 minutes shall not include talk show, interview and advertisements.	(iv) Minimum 3 bulletins of 30-30 minutes based on Uttarakhand are being broadcast daily by the channel, in respect of which the channel shall have to provide footage of news bulletin 3 months prior to the date of application.
(vii) Verification of the cable broadcast will be checked by the District Information Officer or the District Entertainment Tax Officer through the concerned District Magistrate. In case of discrepancy in the records submitted by the concerned District Information Officer and the channel, the final decision of the Director General of Information will be valid.	(vii) regarding the verification of broadcasting in cable, the channel shall have to obtain a certificate from the cable operators and verify it with the District Information Officer and make it available in the format prescribed by the department in the form of a record for empanelment. The said format shall be prescribed separately by the Director General of Information.
(xiv) In order to list the channel, the Hon'ble Chief Minister/Departmental Minister of Uttarakhand can list the channel on certain points of the above criteria, giving relaxation at his discretion.	(xiv) The channel may be empanelment by giving relaxation on the above said parameters for empanelment on approval of Honble ChiefMinister/Departmental Minister by the Administrative Department.

Amendment of Rule7

3. In the principal rules in the existing rule 7 set out in column -1 below

(i) for sub-rule (1), the sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing subrule**	**Column 2** **Hereby substituted**
7. Rate fixation and issuing advertisements	7. Rate fixation
(1) Advertisement of the channel shall be issued in threetime bands by the Director General. (i) Prime Time Band 05:00 PM to 11:00 PM (ii) Second Prime Band 12:00 PM to 04:59 PM (iii) Third Prime Band 07:00 AM to 11:59 AM The Director General shall have the right to decide which channel's advertisement should be broadcast in which time band.	(1) Advertisement may be issued by the department for any time period

For the clauses (a), (b), (c)and (d) of the existing sub rule (2) set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely

(ii)

Column-1 **Existing clause**	**Column-2** **clauses hereby substituted**
(2) Departmental rates shall be in 4 categories	(2) Departmental rates shall be in 4 categories
(a) Eligibility conditions for Rs. 1200 per 10 seconds	(a) Eligibility conditions forRs. 1200 per 10 seconds

(i) The channel is being broadcasted on cable TV in all the district headquarters of Uttarakhand and in minimum 15 areas in the urban areas (whose population is 10 thousand or more) mentioned in Appendix 'A'.	(i) The channel is being broadcasted on cable TV in all the district headquarters of Uttarakhand and in minimum 15 areas in the urban areas (whose population is 10 thousand or more) mentioned in Appendix 'A'.
and	and
(ii) The channel should have tied up with minimum 4 DTH service providers	(ii) The channel should have been broadcasting on minimum 4 DTH service providers.
and	and
(iii) Minimum number of outside broadcasting van is 1, which shall be made functional within the time period prescribed by the Director General Information.	(iii) Minimum number of outside broadcasting van/portable Live View is o.
and	and
(iv) DAVP Empanelment is necessary.	(iv) DAVP Empanelment is necessary.
and	and
(v) The broadcast of the channel is mandatory for 24 hours.	(v) The broadcast of the channel is mandatory for 24 hours.
(b) **Eligibility conditions for Rs. 800 per 10 seconds**	**(b) Eligibility conditions for Rs. 800 per 10 seconds**
(i) Broadcasting on cable TV in minimum 9 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 10 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.	(i) broadcasting on cable TV in minimum 13 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 10 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.
or	Or
(ii) The channel should have tied up with minimum 3 DTH service providers in minimum 9 district	Omitted

	headquarters (along with district headquarters).	
	or	or
	The channel should have tied up with minimum 4 DTH service providers .	Broadcasting on minimum 3 DTH service providers.
	(c) Eligibility conditions for Rs. 400 per 10 seconds	**(c) Eligibility conditions for Rs. 400 per 10 seconds**
	(i) Broadcasting on cable TV in minimum 6 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 8 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.	(i) Broadcasting on cable TV in minimum 13 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 8 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.
	Or	or
	(ii) The channel should have tied up with minimum 2 DTH service providers in minimum 6 district headquarters (along with district headquarters).	Omitted
	or	or
	The channel should have tied up with minimum 3 DTH service providers	Broadcasting on minimum 2 DTH service providers.
	(d) Eligibility conditions for Rs 100 per 10 seconds	**(d) Eligibility conditions for Rs. 100 per 10 seconds**
	The Director General may allow the lowest rate of the channel concerned on fulfillment of the condition of Rule 6.	Broadcasting on minimum One DTH provider.

Other rules to be numbered 4. In the principal rules, after clause (d) of sub-rule (2) of rule 7, the existing rule shall be numbered as rule 8 and for the existing rule set out in column 1, the rule set out in column 2 shall be substituted.

(i)Omitted	8(i) Omitted

(ii) Again, prior to the date of coming into force of this amended rule, the channels listed at various rates in the Department shall be deemed to be listed at the old rates as on 30 September 2016. The channels which are already listed as per category a, b, c, d as prescribed in the policy, who want to get the new rates, they will have to apply under the provisions of the new listing. It will be solely the responsibility of the channel that they fulfill the standards as per the departmental policy. Otherwise, the listing of the previous listing will be canceled.

(ii) The list of channels empanelment previously in the department will be valid and limited to 6 months from the date of implementation of this revised rule. It will be mandatory for the channels listed in the department to submit the re-empanelment application form on the prescribed format within the said period under the provisions contained in the rules. The format of the application for empanelment will be determined by the Director General of Information.

(iii) The revision for increase in rates will be done at least at an interval of 3 years. The revised rates on the recommendation of the Departmental Listing Committee will be applicable only after the approval of the Administrative Department.for reduction in rates, the decision can be taken by the Administrative Department at any time on the recommendation of the Departmental Listing Committee.And there will be no time limit for this.

(iii) To increase or decrease the rates of given channel the empanelment committee constituted under para-4 of Rules cane take a decision any time according to rules described in para-7 keeping in view, the increase or decrease of DTH service providers or cable TV broadcast.

(iv) Rates will be applicable on pro-rata basis for Advertisement films of 15 second, 25 second, 35 second, 45 sec etc.

(iv) Rates will be applicable on pro-rata basis for Advertisement films of 15 second, 25 second, 35 second, 45 sec etc.

(v) Omitted

(v) Omitted

(vi) The Director General of Information will be the competent authority to sanction advertisement campaigns up to a maximum of Rs 3

(vi) Omitted

crore at a time. Advertisement campaign of more than this amount will be issued after the approval of the state government.	
(vii) The final approval for payment of advertisements shall be given by the Director General.	(vii) The final approval for payment of advertisements shall be given by the Director General.
(viii) The telecast certificate certifying the broadcast of the advertisement and an affidavit of its veracity shall be submitted by the channel before payment. In this regard, instructions will be issued by the Director General from time to time as required.	(viii) The telecast certificate certifying the broadcast of the advertisement and an affidavit of its veracity shall be submitted by the channel before payment. In this regard, instructions shall be issued by the Director General from time to time as required.
(ix) Normally the advertisement will be issued by the department directly to the advertising administrator of the channel, but in special circumstances the Director General will be free to decide to engage the advertising agency empaneled in the department for issue of advertisement.	(ix) Normally the advertisement shall be issued by the department directly to the advertising administrator of the channel, but in special circumstances the Director General shall be free to decide to engage the advertising agency empaneled in the department for issue of advertisement.
(x) Action will be taken by the Director General for empanelment of Advertising Agency to issue advertisements to channels within 6 months from the date of implementation of this policy.	(x) Omitted
(xi) The Director General of Information will have the right to decide on issue of advertisements at DAVP rates to any channel, which is listed in DAVP, and for this it will not be necessary for the channel to be listed in the department.**(As**	(xi) The Director General of Information shall have the right to decide on issue of advertisements at DAVP rates to any channel, which is listed in DAVP, and for this it shall not be necessary for the channel to be

amended 09 February, 2016)	empaneled in the department. (xii) On the occasion of special projects like conclave/event etc. or on the need of Information department, Director General Information in special circumstances may issue advertisements on commercial rates to reputed channels after approval of Hon'ble Chief Minister Uttarakhand. (xiii)If there is any change in the information or facts given by the channel for empaneled or the information and records provided by the channel for empaneled are found to be untrue or if the necessary records are not completed or in any other case, then the empaneled committee thinks it appropriate, Channel empaneled may be cancelled.
Rule 9. To be numbered	5 In the principal rule 8 shall be numbered as rule 9.

By Order,

Dr. PANKAJ KUMAR PANDEY,

Secretary.

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2021 ई०

संख्या 1568/Vii-3-21/66-एम0एस0एम0ई0/2013--उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग स्थापना सहित विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर अनुमति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञाओं/अनुमति हेतु "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012" एवं "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली, 2015" लागू है।

2. वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.08.2016 में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम की धारा–3 तथा उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम–6(1)(क) के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी मद में रू0 10.00 करोड़ के स्थान पर रु0 50.00 करोड तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर रु0 50.00 करोड से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा/अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय ज्ञाप संख्या:–1335/VII-2-16/65-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 11 अगस्त, 2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:–886/XXVII(2)/2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1569/VII-3-21/123-उद्योग/2008–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या **895/VII-2-18/123–उद्योग/2008** दिनांक 11 मई, 2018 में स्पष्टीकरण शीर्ष के अन्तर्गत प्रस्तर–10, कार्यालय ज्ञाप संख्या **544/VII-2-15/146-एम0एस0एम0ई0/2013** दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4.7(3) में अंकित उत्पाद के सम्मुख प्रदत्त प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा शीर्ष के अन्तर्गत, तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या **527/VII-3-19/146-एम0एस0एम0ई0/2013** दिनांक 08 मार्च, 2019 के प्रस्तर–4.8(2) में उल्लिखित नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ–2 में निम्नानुसार नये प्राविधान/परन्तुक प्रतिस्थापित/जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नये प्राविधान
4.3 मूल्यवर्द्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति (Reimbursement):- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा दिये गये वैट (VAT) की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगी: क्र.सं. — श्रेणी — प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा 1 — श्रेणी–ए — प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत 2 — श्रेणी–बी व बी+ — प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत 3 — श्रेणी–सी — शून्य 4 — श्रेणी–डी — शून्य	4.3 मूल्यवर्द्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम मात्रा/सीमा श्रेणी–ए के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 125 प्रतिशत, अधिकतम 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा श्रेणी–बी के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत, अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। **परन्तु,** (1) मूल्यवर्द्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम मात्रा/सीमा का निर्धारण इकाई में किये गये अचल पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। **(2)** अचल पूंजी निवेश की अवधारणा के लिए इकाई में किये गये अचल पूंजी निवेश का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित होगा।
4.7 (3) राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञा शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता।	4.7 (3) राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञा शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता। **परन्तु,** **(1)** बॉटलिंग फीस में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी। **(2)** समस्त प्रतिपूर्ति सहायता, यथा: मूल्यवर्द्धित कर, बॉटलिंग फीस, बॉटलिंग लाइसेंस शुल्क, अतिरिक्त बॉटलिंग फीस, अनुज्ञा शुल्क आदि की अधिकतम मात्रा/सीमा श्रेणी–ए के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 125

प्रतिशत तथा श्रेणी–बी के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (Fixed Capital Investment का परीक्षण कराया जायेगा)

2. यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:–130/XXVII(2)/2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1570/VII-3-21/02(10)-एम0एस0एम0ई0/2020–उत्तराखण्ड राज्य को घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर, निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में प्रतिस्थापित करने हेतु एक समुचित निर्यात अवसंरचना का निर्माण एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित कर उभरते क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना (ISAM) में सपोर्टिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों, यथा–वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, डिजाइन व मैटीरियल पैकेजिंग तथा मार्केटिंग इन्टेलीजेंस क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है। अतः इसका लाभ निर्यातकों को सपोर्टिंग सर्विसेज के रूप में मिल सकेगा। उत्पादों के प्रमाणन हेतु व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता का पूर्व से ही प्राविधान है, जिसमें जैविक उत्पाद भी सम्मिलित हैं।

2. इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये "उत्तराखण्ड निर्यात नीति–2021" प्रख्यापित की जा रही है। प्रस्तावित नीति का **ड्राफ्ट/प्रारूप** संलग्न है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:–552/XXVII(2)/2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या: 1570/VII–3–21/02(10)–एम0एस0एम0ई0/2020, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

उत्तराखण्ड निर्यात नीति–2021

1. प्रस्तावना

हिमालयी पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अवस्थित उत्तराखण्ड के उत्तर में चीन (तिब्बत) एवं पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ तथा पश्चिम व उत्तर–पश्चिम में हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ अंतर–राज्यीय सीमाएँ लगी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप होने के कारण राज्य को महत्वपूर्ण बाजार में पहुंच के साथ–साथ कच्चे माल की उपलब्धता में सुगमता होती है।

राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है तथा इस क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों, कृषि आधारित एवं प्रसंस्कृत खाद्य, सगंध एवं औषधीय पौधों पर आधारित उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्युटिकल्स तथा पर्यटन एवं वैलनेस जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात की असीम सम्भावनायें है।

वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य सृजन के बाद राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित नीतिगत हस्तक्षेपों के समर्थन से उत्तराखण्ड में औद्योगिकीकरण की दिशा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य ने उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 का गठन कर उसके माध्यम से, विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं का विकास किया है। राज्य ने निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए भी एक नीति अधिसूचित की है। उद्योग के अनुकूल नीतियों एवं औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण ने उत्तराखण्ड को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित करने में मदद की है।

उत्तराखण्ड राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2011–12 से 2017–18 के बीच 11.16 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) से बढ़कर 2.18 ट्रिलियन (यूएस $ 33.76 बिलियन) थी। उत्तराखण्ड में संचयी एफडीआई प्रवाह अप्रैल 2000 से दिसंबर 2017 के बीच लगभग 652 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान, उत्तराखण्ड से निर्यात में 6.79 प्रतिशत का सकारात्मक विकास दर देखी गयी है, जो कि भारत के समग्र निर्यात में देखे गये 0.89 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि की तुलना में रू. 1.0874 खरब (1.46 बिलियन अमरीकी डालर) तक पहुंच गया।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा कारोबार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2019–20 के तहत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से आयोजित ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तराखण्ड भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है।

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इण्डैक्स (EPI) के अनुसार, आधारभूत निर्यात सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना, निर्यात व्यवसाय एवं निर्यात पर्यावरण तथा निर्यात निष्पादन की उपस्थिति सुनिश्चित करके, राज्य ने खुद को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान (शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य) पर बनाये रखा है। कुछ अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करने के बावजूद समग्र रैंकिंग में राज्य ने सभी पर्वतीय राज्यों में अपने को 13 वें स्थान पर बनाये रखा है, जो कि काफी अच्छा है और राज्य इस क्षेत्र में सकारात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तराखण्ड राज्य के भूमि से घिरे होने (Land locked) के कारण, देश के अन्य राज्यों से कच्चामाल/तैयार माल की आपूर्ति में अधिक परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है, जिसके कारण उद्योगों को अपने परिसर में कच्चे माल को लाने में परिवहन भाड़े में बढ़ी हुई लागत के रूप में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद, उत्तराखण्ड ने वर्ष 2019–2020 के दौरान रू. 1.6978 खरब (2280 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के सामान का निर्यात किया है।

मार्च 2019 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न राज्यों की लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक (LEADS) के अनुसार, वस्तुओं के परिवहन तथा लॉजिस्टिक श्रृंखला की दक्षता के मामले में उत्तराखण्ड राज्य को 19 वें स्थान पर रखा गया है।

उक्त पृष्ठभूमि के साथ और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को साथ लेकर राज्य सरकार उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा राज्य के नए और मौजूदा निर्यातकों को अपना सहयोग/समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति का उद्देश्य निर्यातकों को राजकोषीय और गैर–राजकोषीय सहायता/सुविधा प्रदान करके राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना है।

निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्र के निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में राज्यों को सक्रिय रूप से शामिल किया है। उत्तराखण्ड सरकार का लक्ष्य केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों का लाभ उठाने और अपने स्वयं के प्रयासों को केंद्र सरकार के साथ संरेखित करने का है।

2. नीति दृष्टि एवं उद्देश्य

दृष्टि:

उत्तराखण्ड को घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर निर्यात में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा एक समुचित निर्यात अवसंरचना का निर्माण एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित कर उभरते क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य

i. निर्यात के तेजी से विकास हेतु एक सरलीकृत, सक्रिय एवं संवेदनशील संस्थागत तंत्र प्रदान करना।

ii. नए निर्यात के अवसरों का सृजन तथा मौजूदा निर्यात अवसंरचना जैसे गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक सम्पदा / क्लस्टर से रेल–सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करना।

iii. मूल्य संवर्धन एवं गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स, हस्तशिल्प, हथकरघा, तथा ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक एवं फोकस निर्यात क्षेत्रों की निर्यात क्षमता बढ़ाना।

iv. उत्तराखण्ड से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों को वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

v. राज्य के मौजूदा तथा नए निर्यातकों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।

vi. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय एवं वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

3. उत्तराखण्ड से निर्यात की वाह्य रूपरेखा

निर्यात रूपरेखा

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी एचएस) अध्यायों पर आधारित 99 भारतीय ट्रेड क्लैरिफिकेशन में से, उत्तराखंड ने 91 आईटीसी एचएस अध्यायों में, जिसमें 92% योगदान देने वाले 20 प्रमुख चैप्टर भी सम्मिलित हैं, निर्यात में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। राज्य से वाह्य निर्यात की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईटीसी एचएस अध्याय	सेक्टर	उत्तराखण्ड से निर्यात 2017 (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा करोड़ में*
1.	30	फार्मास्यूटिकल्स	103.11	685.96
2.	87, 75, 78	इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल भी शामिल है)	144.69	962.58
3.	29, 33, 34	रासायनिक तथा संबद्ध	90.19	600
4.	39	प्लास्टिक	88.38	587.97
5.	04, 10	कृषि तथा संबद्ध	32.96	219.27
6.	63, 57, 55	कपड़ा तथा संबद्ध	26.78	178.16
7.	94	फर्नीचर	7.02	46.70

*वर्ष 2017 में प्रति डॉलर की दर @ रू. 66.5275 थी।

स्रोतः वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) 2017 डेटा

4. नीति के लक्ष्य एवं कार्यान्वयन

नीति के लक्ष्यः

i. वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 15900 करोड के कुल निर्यात को बढ़ाकर 5 वर्षो में रू0 30,000 करोड किया जायेगा।

ii. 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन।

नीति का कार्यान्वयन

i. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और 5 साल की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

ii. इस नीति को आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधित कर अधिसूचित किया जा सकेगा।

iii. इस नीति में किसी भी समय संशोधन होने पर यदि किसी इकाई को मूल नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन दिये जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा और इकाई लाभ हेतु अर्ह बनी रहेगी।

5. फोकस क्षेत्र / सेक्टर

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) द्वारा तैयार की गई उत्तराखण्ड निर्यात कार्यनीति में अभिज्ञापित प्रमुख क्षेत्रों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत एवं विश्व के संबंध में प्रकाशित तुलनात्मक लाभ पर आधारित है और उत्तराखण्ड से किये गये समग्र निर्यात के 50% को संस्थापित करता है।

A) कृषि तथा संबद्ध

उत्तराखण्ड देश के अग्रणी फल उत्पादक वाले राज्यों में से एक है। राज्य आड़ू एवं आलूबुखारे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, अखरोट एवं नाशपाती के उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा सेब के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। राज्य में फलों एवं कृषि उत्पादों जैसे शहद, मशरूम, चावल, मक्का अनाज इत्यादि, मसाले, बागवानी तथा फूलों की खेती से निर्यात की असीम सम्भावनायें है।

i. फल

राज्य में फलों (समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय), जैसेः सेब (उत्तरकाशी), आड़ू (नैनीताल), आम (हरिद्वार व यूएस नगर) लीची (रामनगर, नैनीताल), अमरूद (उधम सिंह नगर) के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं।

ii. सब्जियां/ऑफ–सीजन सब्जियां/आलूः

राज्य में विविध कृषि जलवायु स्थितियां हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऑफ–सीजन खेती (फरवरी के बाद) की विस्तृत श्रृंखला का पक्ष लेती हैं, जबकि मौसमी सब्जियां मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ऑफ–सीजन सब्जियों की खेती में टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, आलू प्रमुख फसलें हैं।

iii. मसाले

राज्य में, मसालों की फसलें; अदरक, हल्दी, लहसुन और लखोरी मिर्च आदि अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उगाए जाते हैं। अदरक का प्रमुख उत्पादन (कुल उत्पादन का 25–30%), जो टिहरी जिले द्वारा किया जाता है और लखोरी मिर्च का उत्पादन जनपद अल्मोड़ा में किया जाता है।

iv. **बासमती चावल**

राज्य में बासमती चावल अपनी समृद्ध सुगंध एवं विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। उधमसिंह नगर की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल होने के कारण, जैविक रूप से धान की उपज के लिए उपयोगी है, वहीं विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसका अच्छा बाजार है।

v. **मण्डुवा**

उत्तराखण्ड में 88,577 हैक्टेयर क्षेत्र में मण्डुवा की खेती होती है और वर्तमान में राज्य में इसका उत्पादन 1,29,244 मीट्रिक टन है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचल में पाये जाने वाला मण्डुवा पौष्टिकता का खजाना है। यहां की परम्परागत फसलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मण्डुवा हृदय व मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। इसका अधिकाधिक सेवन आंखों के रतौंधी रोग के उपचार में सहायक होता है। मण्डुवा में आयोडीन, आयरन व फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें विद्यमान प्रोटीन के कारण यह बच्चों व महिलाओं के लिए गुणकारी है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्व होने की वजह से यह कुपोषण से बचाने में भी मददगार होता है। वर्तमान में मण्डुवे से बिस्कुट, रोटी, हलुवा, नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किये जाते हैं। इसकी खेती जैविक खाद से होने के कारण विदेशी बाजार में मण्डुवा की अच्छी मांग है।

vi. **चाय**

राज्य स्थानीय किस्म की चाय उत्पादन के लिए समृद्ध है, जिसमें एक विशिष्ट स्वाद और सुगंध होती है। यह अपने एंटी–ऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। राज्य में कृषि–जलवायु की स्थिति भी इस किस्म की चाय के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में, राज्य में चाय की खेती के तहत लगभग 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ पांच चाय बागान (जिनमें से चार राज्य के स्वामित्व वाली हैं, और शेष एक निजी स्वामित्व वाली चाय की संपत्ति) हैं। राज्य में चार चाय बागान हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक चाय प्रसंस्करण इकाई स्थापित है, जो सालाना लगभग 1,00,000 किलो चाय का उत्पादन करती हैं। उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 1,400 हेक्टेयर भूमि को चाय की खेती हेतु विकसित किया है, जो इस क्षेत्र में निर्यात की क्षमता को बढ़ावा देगा।

vii. **शहद**

उत्तराखंड की मौसम की स्थिति पूरे राज्य में शहद के उत्पादन के अनुकूल है। राज्य में लगभग 8950 मधुमक्खी पालक 22500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करते हैं। यह उद्योग ग्रामीण युवाओं और भूमिहीन किसानों को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है। उद्योग मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी विष, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी मोम जैसे एंटीऑक्सीडेंट क्षमता वाले

उत्पादों द्वारा भी प्रदान करता है। उत्तराखंड में ऊंची पहाड़ियों से जैविक शहद पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। विभिन्न प्रकार के शहद का उत्पादन किया जाता है, जैसेः हिमालयन शहद, बहु वनस्पति वन शहद, जैविक शहद, हर्बल शहद, विभिन्न मोनो–पुष्प शहद आदि। उत्तराखंड में लगभग 5000 मधुमक्खी पालनकर्ता हैं और यह उद्योग राज्य के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है।

viii. **मशरूम**

उत्तराखंड में प्रचलित जलवायु परिस्थितियाँ मशरूम के उत्पादन के अनुकूल हैं जैसे; बटन, दूधिया आदि। वर्तमान में राज्य में लगभग 16500 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन करने वाली 27 मशरूम इकाइयाँ (उत्पादन, खाद, स्पॉन लैब) हैं। प्रसंस्कृत मशरूम उत्पादों के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। फ्रीज, सूखे, निर्जलित, पाउडर्ड मशरूम पाउडर प्रमुख उत्पाद हैं, जो प्रोटीन से भरपूर हैं और इनके निर्यात की अच्छी संभावनायें हैं।

ix. **जैविक**

पहाड़ी क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा रसायनों एवं उर्वरकों के उपयोग की अनुपस्थिति राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु अत्यधिक अवसर प्रदान करती है।

x. **खाद्य प्रसंस्करण**

उत्तराखंड फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, जिसका वार्षिक अधिशेष उत्पादन 4 लाख मीट्रिक टन है। उत्तराखण्ड भारत में अग्रणी फल उत्पादन वाले राज्यों में से एक है। राज्य में 2 मेगा फूड पार्क, 4 खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, 58 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 19 कोल्ड स्टोरेज तथा 60 किसान उत्पादक संगठनों (नाबार्ड पदोन्नत एफपीओ) सहित मजबूत अवस्थापना सुविधा की उपलब्धता इस क्षेत्र में निर्यात की क्षमता को बढ़ाती है।

xi. **पशुधन**

राज्य में वैज्ञानिक पशुधन उत्पादन की अत्यधिक सम्भावनायें हैं तथा उत्तराखण्ड की जलवायु पशु प्रजनन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। राज्य बकरी पालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन, भैंस पालन आदि को प्रोत्साहित करने हेतु पहल कर सकता है। इससे राज्य में ऊनी एवं चमड़ा उद्योग के विकास की भी सम्भावनायें हैं।

xii. **फूलों की खेती/पुष्पकृषि**

उत्तराखंड में अलग–अलग कृषि–जलवायु स्थितियां हैं जो फूलों की खेती के लिए अनुकूल हैं। कार्नेशन, लिली, गुलदाउदी, लिलियम, ग्लैडियोलस और भारतीय लाल गुलाब जैसे फूलों की उत्तम किस्मों की राज्य में घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मांग है। उत्तराखंड में 225 से अधिक स्पा हैं। उत्तराखण्ड में कृषि अनुकूल जलवायु परिस्थितियां होने के कारण प्रति हेक्टेयर फूलों की उत्पादकता अधिक है, जिससे इसके निर्यात की प्रबल सम्भावनायें हैं।

यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार संभावित कृषि क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं, यथाः पैक हाउस, प्रसंस्करण इकाईयां, कोल्ड स्टोरेज आदि की आवश्यकता को अभिज्ञापित कर उनका विकास करेगी, ताकि लघु और मध्यम श्रेणी के निर्यातक इन सुविधाओं का उपयोग कर सक्षम हो सकें, क्योंकि वह ऐसी सुविधाओं के विकास पर व्ययभार वहन नहीं कर सकती।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और राज्य में लॉजिस्टिक संयोजकता प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

'उत्तराखण्ड राज्य में कृषि निर्यात नीति (AEP) को लागू करने की रणनीति' के अनुरूप, राज्य सरकार इस नीति में प्राथमिकता एवं कृषि निर्यात गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

B) वैलनेस एवं आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा तथा होम्योपैथी)

उत्तराखण्ड में आयुष क्रियाकलापों में 25% से 30% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है तथा अगले 2–3 वर्षों तक इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। ऋषिकेश को "विश्व की योग राजधानी" के रूप में जाना जाता है। राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं की 272 फार्मेसियों स्थापित हैं तथा 206 आयुष अस्पतालों को एलोपैथिक अस्पतालों में संचालित किया जा रहा है। राज्य में 10 आयुर्वेदिक केंद्र पीपीपी मोड पर विकसित कर उनका संचालन किया जा रहा है। राज्य में सगंध एवं औषधीय पौधों की खेती से भी आर्थिकी को लाभ हो रहा है तथा औषधीय गुणों वाले 200 से अधिक अद्वितीय सगन्ध पौधों का उत्पादन राज्य में होता है।

C) फार्मास्यूटिकल्स

उत्तराखण्ड का फ़ार्मास्युटिकल उद्योग देश की घरेलू आवश्यकता का 20% पूरा करता है तथा राज्य वैश्विक फार्मा हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में फार्मास्युटिकल उद्योगों की सुविधा हेतु औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में उत्कृष्ट अवसंरचनात्मक सुविधाओं युक्त एक फार्मा सिटी विकसित की गयी है, जिसमें दवा निर्माण की 300 से अधिक इकाइयां स्थापित हैं। वर्तमान में, यह क्षेत्र राज्य में 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इस तरह के मजबूत आधार के साथ, इस क्षेत्र में निर्यात केंद्रित राज्य के रूप में उत्तराखण्ड को प्रतिस्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं।

D) ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध क्षेत्र

उत्तराखण्ड में हीरो मोटर्स (विश्व का सबसे बड़ा 2–व्हीलर निर्माता, हरिद्वार में दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत 2 व्हीलर प्लांट का संचालन करता है), टाटा मोटर्स (विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ट्रक निर्माता), बजाज ऑटो (विश्व का सबसे बड़ा 3 व्हीलर निर्माता), अशोक लेलैंड (विश्व में बसों का चौथा सबसे बड़ा निर्माता) जैसी विश्व विख्यात कम्पनियों की ऑटो विनिर्माणक इकाईयां स्थापित हैं तथा उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में बड़ी संख्या में इनकी सहायक एवं पूरक इकाईयां भी लगी हुई हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बाजारों और उत्तर भारत के उभरते बाजारों के साथ निकटता के कारण इन्हें इसका विशेष लाभ मिलता है।

E) पर्यटन एवं आतिथ्य

भौगोलिक रूप से हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण, उत्तराखण्ड में कई हिल स्टेशन, वन्यजीव अभयारण्य, तीर्थ स्थल एवं गर्म पानी के झरने हैं जो भारत के साथ–साथ विदेशों से भी पर्यटकों को यहां आने के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे राज्य को राजस्व के रूप में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

राज्य पर्यटन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जिसमें साहसिक एवं जल क्रीड़ा, तीर्थाटन/आध्यात्मिक गतिविधियाँ, प्रकृति एवं वन्य जीवन, स्वास्थ्य एवं वैलनेस, ग्रामीण पर्यटन तथा सगंध पर्यटन शामिल हैं।

i. फिल्म की शूटिंग

बड़ी संख्या में खूबसूरत स्थानों के अस्तित्व के साथ, उत्तराखण्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। राज्य स्थापना के बाद से 150 से अधिक फिल्मों की शूटिंग राज्य में हो चुकी है।

ii. योगा आश्रय

योग की भूमि, उत्तराखण्ड शरीर को स्वस्थ रखने का एक उत्तम स्थान है। यह आपके भीतर की सारी नकारात्मकता को दूर कर आपको शांत, तनावमुक्त एवं आनन्दित रखता है। बर्फ की चोटियों से ढके हुए आकर्षक हिल स्टेशन, घुमावदार पहाड़ी रास्तों के साथ विलक्षण गाँव, पहाड़ियों के बीच से होते हुए सर्पीली नदियाँ, 'जिम कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क' एवं 'आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व' जैसे विश्व प्रसिद्ध संरक्षण पार्क, विश्व विरासत स्थल जैसे 'फूलों की घाटी' एवं 'नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व', ढलानों से बहते झरने तथा खूबसूरत शहरों के बीच झिलमिलाती झीलें आपके लिए आकर्षण एवं स्वास्थ्य का प्रमुख केन्द्र हैं।

F) **हथकरघा एवं हस्तशिल्प**

उत्तराखण्ड में रेशम उत्पादन की पुरानी परंपरा एवं इतिहास रहा है। "उत्तराखण्ड को भारत के बाउल्टाइन सिल्क के कटोरा" के रूप में जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां सभी चार प्रकार के कोकून अर्थात शहतूत, ओक टैसर, मगा तथा एरिकल्चर का उत्पादन होता है। देहरादून जिले में सिल्क पार्क की स्थापना के साथ, सिल्क एम्पोरियम, सिल्क एक्सचेंज, डिजाइन स्टूडियो, वीविंग वर्कशॉप, सिल्क फैब्रिक सेल काउंटर, सीएफसी यार्न डाइंग यूनिट और सीएफसी फैब्रिक यूनिट के कार्यान्वयन के माध्यम से एक सुविख्यात अवसंरचना आधार तैयार किया गया है।

G) **शैक्षणिक सेवाए**

उत्तराखण्ड भारत में शिक्षा एवं सीखने का एक प्रमुख केंद्र है। राज्य में कई उल्लेखनीय विद्यालय एवं संस्थान हैं, जहां पर उच्च शिक्षा के साथ–साथ विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण की सुविधा है। इसके अलावा, राज्य के पास खुद को एशिया एवं अफ्रीका के छात्रों हेतु एक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की क्षमता है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को बढ़ावा देगा।

6. **परिभाषाए**

निर्यातक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है या निर्यात करने का इरादा रखता है और एक आईईसी नंबर रखता है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से छूट न हो।

ईओयू का मतलब निर्यातोन्मुखी इकाई है जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा परमिट पत्र (एलओपी) जारी किया गया है, वार्षिक कारोबार के कम से कम 30% निर्यात वाली इकाई को ईओयू कहा जाएगा और वह नीतिगत लाभों के लिए पात्र होगी।

ग्रीनफील्ड परियोजनाएं/नई इकाइयाँ: नए निवेश और परिचालन सेट–अप वाली इकाइयाँ

i. नई इकाइयों को परिचालन शुरू होने के तीसरे वर्ष तक वार्षिक कारोबार के 30% निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए या

ii. इस लाभ के उद्देश्य के लिए नई इकाई का पहले 3 वर्षों का औसत निर्यात कारोबार का कम से कम 25% होना चाहिए, जिसे एक्सपोएटर कहा जाना चाहिए।

iii. नई इकाइयों को इस आशय की निर्यात प्रतिबद्धताओं का विवरण प्रदान करना चाहिए।

7. नीति विशेषताएँ

7.1 निर्यात अवसंरचना

राज्य की रणनीतिक स्थिति, एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से निकटता, इसे कुशल रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से माल की गतिशीलता हेतु अनुकूल बनाती है। दो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) एवं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) की उपस्थिति भी व्यापार तथा निर्यात की सुविधा हेतु अवसंरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करती है।

राज्य सरकार राज्य के निर्यात अवसंरचना को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय करेगी:

A) भंडारण एवं कंटेनर सुविधाएं तथा एयर कार्गो सुविधाएं बढ़ाना

i. राज्य सरकार हरिद्वार जैसे औद्योगिक केन्द्रों में नयी आईसीडी/ड्राई कार्गो सुविधायें स्थापित करेगा, ताकि कार्गो भण्डारण, कस्टम निकासी तथा कण्टेनर की उपलब्धता से सम्बन्धित समस्याओं/कठिनाईयों का समाधान किया जा सके।

ii. राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में राज्य नई आईसीडी / शुष्क सुविधाएं स्थापित करेगा ताकि इन स्थानों पर कार्गो भंडारण, सीमा शुल्क निकासी तथा कंटेनर की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो।

iii. बनबसा, चंपावत में एक लैंड कस्टम स्टेशन (LCS) की स्थापना भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) द्वारा एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के रूप में की जाएगी।

iv. काशीपुर एवं पंत नगर में मौजूदा आईसीडी तथा जॉली ग्रांट एवं पंत नगर में प्रमुख हवाई अड्डों का नवीनीकरण/उच्चीकरण किया जाएगा।

v. भारत के मेट्रो शहरों सहित गंतव्यों हेतु नई उड़ानें शुरू करके हवाई संपर्क को बढ़ाया जाएगा।

vi. राज्य हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल की स्थापना करेगा तथा कृषि / बागवानी / फूलों की खेती के निर्यात हेतु कोल्ड चेन एवं भंडारण हेतु एकीकृत सुविधाएं प्रदान करेगा।

vii. मालवाहक प्रवाह / बहिर्वाह को बढ़ाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा सड़क अवसंरचना में सुधार एवं रखरखाव, जिससे निर्यातकों द्वारा किए गए लेन–देन की लागत को कम किया जा सके।

viii. क्षेत्रों में रेल संपर्क बढ़ाया जाएगा।

ix. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल वेदर चारधाम रोड परियोजना तथा भारतमाला सड़क परियोजना जैसी चालू परियोजनाएँ राज्य के दूरस्थ भागों से संपर्क को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं।

B) मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

पोत परिवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में, भारत के विभिन्न राज्यों में 7 मल्टी मॉड्ल लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित किए गए थे, इनमें से एक पार्क को लगभग 38 एकड़ क्षेत्र में पंत नगर, उत्तराखण्ड में स्थापित किया गया है। आन्तरिक परिचालन पहले से ही इस सुविधा को शुरू किया जा चुका है तथा राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय परिचालन की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह पार्क एकीकृत औद्योगिक आस्थान (IIE) पंत नगर, एवं रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा तथा खटीमा जैसे आस–पास के क्षेत्रों में उद्योगों का समर्थन करेगा जहाँ प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उद्योग स्थापित हैं। यह पार्क एक रेल बद्ध मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के रूप में काम करेगा।

मल्टी मॉड्ल लॉजिस्टिक पार्क में भंडारण, माल के निर्यात / आयात की सीमा शुल्क निकासी, रेल एवं सड़क के माध्यम से कंटेनरों और कार्गो के परिवहन सहित व्यापार सुगमता हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, इस सुविधा में पारंपरिक वस्तुओं के लदान हेतु रेल वैगन के संचालन के लिए समर्पित क्षेत्र भी होंगे, जिनमें ऑटो कार, कृषि वस्तुएं आदि शामिल हैं।

C) **नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहन**

i. प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के निर्यात उत्पादों की पहचान करना।

ii. उत्पाद निर्माण हेतु नवीन नवप्रवर्तनशील प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

यह राज्य में उद्योगों के विकास हेतु गति प्रदान करेगा तथा उद्योगों द्वारा वहन किए जाने वाले उच्च भाड़ा शुल्क पर अंकुश लगाएगा।

D) **विकास केंद्रों की स्थापना**

उत्तराखण्ड सरकार ने घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में स्थानीय उत्पादों / सेवाओं को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु ग्रोथ सेंटर योजना लागू की है। ग्रोथ सेंटर के विकास से पश्चातवर्ती एवं अग्रिम संपर्क (Backward & Forward Linkage) सक्षम होंगे जो राज्य में निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद करेंगे।

इन ग्रोथ सेंटर के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. महत्वपूर्ण अंतर विश्लेषण तथा आर्थिक गतिविधि का विस्तार करके अग्रणी निर्यात योग्य उत्पादों / सेवाओं की पहचान एवं विकास।

ii. क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से एम०एस०एम०ई० निर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करना।

iii. सामान्य/सार्वजनिक सुविधा केंद्र (सीएफसी), डिजाइन केंद्र, प्रदर्शनी सह–व्यापार केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला तथा कौशल विकास कार्यक्रम का विकास।

iv. निर्यात बाजार में आशाजनक क्षेत्रों हेतु डिजाइन, पैकेजिंग तथा विपणन गतिविधियों पर तकनीकी सहायता।

v. राज्य / केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई नीतियों एवं योजनाओं पर निवेशकों को शिक्षित करना।

vi. ई—मार्केटिंग तथा घरेलू, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनी हेतु उद्योगों को बढ़ावा देना तथा सुविधाजनक बनाना, जिससे व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा मिले।

E) उत्तराखण्ड — एक जनपद — दो उत्पाद (One District Two Product) योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रख्यापित एक जनपद दो उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के 13 जिलों में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन का संकुल बनाना है। यह संकुल चिन्हित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे और राज्य के जिलों की पहचान बनेंगे। इस योजना में परम्परागत तथा सोविनियर शिल्पों एवं उद्यमों का तेजी से विकास कर स्थानीय स्थल पर मूल्य संवर्द्धन होगा और ग्राहकों की मांग के अनुरूप आकर्षक प्रभावी लागत, उच्च गुणवत्त तथा सुसंगत उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा। उत्पादों के डिजाइन एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु पैकेजिंग एवं ब्राण्डिंग में भी सुधार किया जायेगा, जिससे एक जनपद दो उत्पाद की अवधारणा को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया जा सके, ताकि बाजार की मांग के अनुरूप निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन कर निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

शीघ्र खराब होने वाली फसलों के खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण में असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान—2020 के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना का औपचारिकरण शुरू किया गया था। इस योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड शासन उत्पादन एवं बाजार की रणनीति के लिए विभागों के बीच समन्वय एवं संवर्द्धन हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

प्रस्तावित योजना राज्य के प्रत्येक जनपद को आच्छादित करेगी तथा कुशल उत्पादन एवं बाजार संवर्धन रणनीतियों को बढ़ावा देगी।

F) जिलों को एक्पोर्ट हब के रूप में विकसित करना

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा जिलों को निर्यात हब के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक पहल शुरू की गयी है। उसी के पूरक और संस्थागत तंत्रों के बीच समन्वय के लिए राज्य सरकार ने जिला निर्यात संवर्धन समितियों का गठन किया है।

इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके राज्य के प्रत्येक जिले को एक निर्यात केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन उत्पादों के निर्यात में आने वाले अवरोधों को दूर करना और स्थानीय निर्यातकों को उत्पाद के विनिर्माण को बढ़ाने तथा भारत के बाहर इसके सम्भावित खरीददारों को खोजने के लिए समर्थन प्रदान करना है।

जिलों को जिला निर्यात योजना (DEP) तैयार करने, नोडल अधिकारियों की निगरानी, समितियों की निगरानी, लक्ष्य निर्यात बाजारों की पहचान करने तथा रसद और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सुझाव आदि की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तदनुसार रणनीति तैयार की जायेगी।

महानिदेशक विदेश व्यापार, औद्योगिक संघों, उद्योगों, लीड बैंक आदि के प्रतिनिधि भी सुविधा प्रक्रिया में शामिल होंगे और इस तरह निर्यात हब के रूप में जिलों को बढ़ावा मिलेगा।

G) **परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं का विकास**

मौजूदा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने हेतु, राज्य सरकार उद्योगों में नई प्रयोगशालाओं/इन–हाउस अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के विकास/स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इन प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय निकायों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)/शहद के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं/एनएबीएल गुणवत्तायुक्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं/ जैविक उत्पादों के परीक्षण के लिए जैविक उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं/भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)/निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) द्वारा मान्यता प्राप्त होगी तथा निर्यातकों को व्यापार की सुविधा हेतु उन्हें सेवाएं प्रदान करेगा। उपरोक्त के अलावा, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के साथ टाई–अप किया जाएगा ताकि उनके मौजूदा अनुसंधान एवं विकास व्यवस्था, तकनीकी जानकारी, तथा उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद (UCOST), देहरादून, सीएसआईआर–आईआईपी, देहरादून, सीएसआईआर – सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी (डील), देहरादून, डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ बायो–एनर्जी रिसर्च (DIBER), हल्द्वानी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), रुड़की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) – भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान, देहरादून, आईसीएआर–शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय, भीमताल, नैनीताल, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम एवं एनर्जी स्टडीज विश्वविद्यालय, देहरादून, देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान आदि के विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।

इसके अलावा, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक सार्वजनिक खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना राज्य द्वारा की जाएगी, जो राज्य में फार्मा तथा खाद्य प्रमुख कंपनियों के सहयोग से होगा। मुख्य गतिविधियों में परीक्षण नमूने तथा राज्य में छोटी इकाइयों हेतु अनुबंध अनुसंधान एवं विकास का संचालन करना शामिल होगा। यह विनियामक प्रमाणन प्राप्त करने हेतु निर्माताओं / निर्यातकों का भी समर्थन कर, अध्ययन / विश्लेषण का संचालन करेगा, जैसे ट्रेस एनालिसिस, शेल्फ लाइफ स्टडीज़ तथा न्यूट्रीशन (खाद्य), दवा लेबलिंग, आदि, जो उन्हें न केवल वैश्विक मानकों का अनुपालन करने में सक्षम बनाएगा बल्कि उनके उत्पाद को आपूर्ति श्रृंखला के साथ अच्छी तरह से एकीकृत कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहयोग देगा।

H) **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मज़बूत करना:**

विभिन्न उद्यानिकी फसलों के निर्यात गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को पूरा करने के लिए, उच्च घनत्व के क्षेत्र विस्तार, फलों के अल्ट्रा उच्च घनत्व वृक्षारोपण, सब्जियों, मसालों, फूलों, मशरूम का क्षेत्र विस्तार, केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत सटीक खेती की जाएगी।

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज यानी छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोर, रेफर वैन, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, रिटेल आउटलेट्स को फसल समूहों में स्थापित/मजबूत किया जाएगा। समुदाय आधारित संगठन/सहकारिता संघ आदि के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना।

I) **कृषि निर्यात सेल की स्थापना**

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में निर्यात प्रोत्साहन सेल के अन्तर्गत एक समर्पित कृषि निर्यात सेल स्थापित किया जाएगा और यह सेल कृषि एवं संबद्ध उत्पादों (वृक्षारोपण फसलों – चाय, कॉफी और मसालों के उत्पादों के अलावा) के निर्यात को सुविधाजनक बनाने तथा बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा। एग्री एक्सपोर्ट सेल एपीडा की मदद से उत्तराखण्ड राज्य के लिए तैयार की गयी कृषि निर्यात रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एपीडा का सहयोग लेगा।

महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड को निर्यात आयुक्त के रूप में भी नामित किया गया है। निर्यात आयुक्त कृषि निर्यात के लिए भी राज्य के नोडल अधिकारी होंगे।

7.2 निर्यात प्रोत्साहन संस्थागत व्यवस्था

निर्यात संवर्धन अधिकार प्राप्त समिति

एक अनुकूल एवं लाभदायक निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, राज्य स्तर एवं जनपद स्तरीय निर्यात स्तर समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है:

राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन अधिकार प्राप्त समिति

i.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
ii.	प्रमुख सचिव / सचिव, उद्योग	–	सदस्य
iii.	प्रमुख सचिव / सचिव – विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आयुष (सेवा निर्यात)	–	सदस्य
iv.	प्रमुख सचिव / सचिव – वित्त	–	सदस्य
v.	प्रमुख सचिव / सचिव – कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण	–	सदस्य
vi.	प्रमुख सचिव / सचिव – पर्यटन	–	सदस्य
vii.	महानिदेशक / निवेश अधिकारी – उद्योग	–	संयोजक
viii.	डिप्टी डीजीएफटी, उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय प्राधिकरण	–	सह संयोजक

भूमिकायें एवं उत्तरदायित्व

i. अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने हेतु मानकों एवं प्रमाणपत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति की पहल से सेवा निर्यात को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना।

ii. भारत सरकार के विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं एवं नीतियों के बारे में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के साथ समन्वय करना।

iii. राज्य विभागों / एजेंसियों की सहायता से योजना क्षेत्र वार निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियाँ।

iv. संभावित उत्पादों / सेवाओं के निर्यात की मात्रा में सुधार हेतु रणनीति।

v. उत्तराखण्ड के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके राज्य के निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक योजना तैयार करना।

vi. निर्यात अवसंरचना के उन्नयन / विकास हेतु योजना।

vii. राज्य की निर्यात नीति में पहचाने गए फोकस क्षेत्रों पर विशेष जोर देने वाले क्षेत्रों में विकास।

viii. निर्यात नीति के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहन की समय पर मंजूरी एवं संवितरण।

जिला स्तरीय निर्यात समिति

i.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
ii.	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य सचिव

iii.	मुख्य कृषि अधिकारी	– सदस्य
iv.	मुख्य शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
v.	एक अग्रणी बैंक से प्रतिनिधि	– सदस्य
vi.	जिला उद्यान अधिकारी	– सदस्य
vii.	जिला पर्यटन अधिकारी	– सदस्य
viii.	जिला विकास अधिकारी – नाबार्ड	– सदस्य
ix.	जिला हथकरघा एवं हस्तशिल्प अधिकारी	– सदस्य
x.	क्षेत्रीय अधिकारी –सिडकुल	– सदस्य
xi.	क्षेत्रीय अधिकारी – डीजीएफटी	– सदस्य
xii.	जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि	– सदस्य
xiii.	जिला स्तरीय औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि – 2	– सदस्य
xiv.	प्रमुख निर्यातक – 2	– सदस्य
xv.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र	– सदस्य

जिला स्तरीय निर्यात समिति की भूमिकायें एवं उत्तरदायित्व

i. निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान एवं मानचित्रण

ii. प्रत्येक जनपद को निर्यात हब में परिवर्तित करने की दृष्टि के अनुरूप जनपद निर्यात योजना तैयार करना

iii. मौजूदा निर्यात इकाइयों के डेटाबेस की तैयारी

iv. कामकाजी समूहों एवं उपसमूहों (पहचान किए गए संभावित निर्यात उत्पादों के भीतर) का गठन जिसमें हितधारक शामिल होंगे जिसमें निर्माता, कारीगर तथा निर्यातक आदि शामिल हैं।

v. संभावित उत्पादों / सेवाओं के निर्यात की मात्रा में सुधार हेतु रणनीति

vi. उत्तराखंड के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके राज्य के निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक योजना तैयार करना

vii. प्रशिक्षण एवं विकास, क्षमता निर्माण आवश्यकताओं की पहचान करना

viii. जनपद से एक सूत्रीय सूत्रधार के रूप में कार्य

राज्य/जिला स्तर पर गठित उपरोक्त राज्य/जिला निर्यात समितियां कृषि निर्यात के लिए भी प्राधिकृत समिति के रूप में कार्य करेंगी।

7.3 निर्यात सुगमता

राज्य सरकार निर्यात के विकास हेतु अनुकूल वातावरण स्थापित करने तथा संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु वर्तमान कार्यपद्धति एवं प्रक्रियाओं को कारगर बनाने का इरादा रखती है। निर्यात करने में आसानी हेतु, सरकार पुनः इंजीनियरिंग द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करेगी, तथा आवेदन जमा करने एवं अनुमोदन में शामिल मौजूदा प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने, भुगतान, ट्रैकिंग एवं अनुमोदन आदि हेतु एकल खिड़की सिस्टम के साथ एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी, जो कि भौतिक सत्यापन बिंदुओं को सभी स्तरों पर हटा देगी, जब तक कि भौतिक सत्यापन की आवश्यकता न हो। यह सुनिश्चित करने हेतु कि समय सीमा के भीतर आवेदन को मंजूरी दी गई है, उत्तराखण्ड एंटरप्राइज सिंगल विंडो फैसिलिटेशन एंड क्लीयरेंस एक्ट, 2012 के अनुसार तय समयसीमा का पालन किया जाएगा।

7.4 निर्यात में उत्कृष्टता पुरस्कार

निर्यात को बढ़ावा देने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु, उत्तराखण्ड सरकार नीचे दिए गए श्रेणियों के अनुसार राज्य में संचालित निर्यातकों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रदान करेगी:

i. **सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कारः** मूल्यांकन वर्ष हेतु निर्यात के मूल्य के संदर्भ में उच्चतम निर्यात वाले निर्यातक को सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। (प्रस्तावित श्रेणियाँ – प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर)

ii. **गुणवत्ता पुरस्कारः** वह निर्यातक जो मूल्यांकन वर्ष में बिना किसी नुकसान / नुकसान के निर्यात करता है, उसे गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

iii. **उत्कृष्टता प्रमाण पत्रः** निर्यातक जो पूर्ववर्ती वर्ष से निर्यात मूल्य में 20% से अधिक की वृद्धि प्राप्त करता है उसे उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा।

7.5 निर्यात प्रोत्साहन (सांकेतिक)

राज्य से निर्यात में अभिवृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, राज्य सरकार नयी निर्यातक इकाईयों की स्थापना तथा विद्यमान निर्यातक इकाईयों के विस्तार हेतु निर्यात प्रोत्साहन/रियायत के रूप में निम्नलिखित वित्तीय तथा नीतिगत सुविधाएं प्रदान करेगा :–

i. **भूमि की दरों में छूट/रियायतः** सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में उपलब्ध भूखण्डों के निर्धारित दर/प्रीमियम पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट/रियायत प्रथम 25 निर्यातक इकाइयों को अनुमन्य होगी तथा छूट/रियायत के सम्बन्ध में सिडकुल बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

ii. **भू–उच्चीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति****: सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित होने वाली निर्यातोन्मुखि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कृषि उपयोग से औद्योगिक उपयोग में भू उपयोग परिवर्तन के लिए देय भू–उच्चीकरण शुल्क में 25 %, अधिकतम रू. 15 लाख तक भू–उच्चीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति सहायता प्रथम 20 निर्यातक इकाईयों को 4 वर्ष की अवधि में एक समान किश्तों पर इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि इकाई अपने राजस्व का 30% प्रत्येक वर्ष के लिए निर्यात से प्राप्त करती हो।

iii. **विपणन सहायता*****: शतप्रतिशत निर्यातक इकाईयों को आईटीपीओ, नई दिल्ली या निर्यात संवर्धन परिषद के पूर्व अनुमोदन के अधीन प्रमाणन के बाद, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों में अपने व्यावसायिक हितों के विस्तार हेतु स्टालों की स्थापना के लिए भुगतान किये जाने वाले किराये का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2 लाख प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी। यदि प्रदर्शनी भारत के भीतर आयोजित की जाती है, तो प्रतिपूर्ति सहायता की सीमा/मात्रा किराये का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50,000 प्रतिवर्ष होगी। महिला स्वामित्व वाली निर्यातक इकाईयों को अतिरिक्त 15 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी। यह सुविधा राज्य में स्थापित होने वाली प्रथम 100 निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी।

iv. **कौशल विकास सहायता****: राज्य से उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु, उद्योग विभाग (DoI) स्थानीय जनशक्ति के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (EPCH) आदि से सम्बन्धित निर्यात प्रोत्साहन संस्थाओं के साथ समन्वय करेगा। प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की यह सीमा/मात्रा 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1,00,000 प्रति वर्ष प्रति इकाई होगी। यह सुविधा राज्य में स्थापित होने वाली प्रथम 50 नयी निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी।

v. **अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन****: राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक महत्व के फार्मा से संबंधित परियोजनाओं के लिए, जहां निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समान धनराशि वित्त पोषित करने को तैयार हों, को रू. 25 लाख (प्रथम 4 परियोजनाओं हेतु) तक मैचिंग ग्राण्ट उपलब्ध करायेगा। शोध के परिणामों की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

vi. **प्रमाणन हेतु सहायता***: राज्य सरकार शत प्रतिशत तथा अन्य निर्यातोन्मुखी इकाईयों को, वैश्विक प्रमाणन मार्किंग के लिए, जैसे: कॉनफॉर्मिटी यूरोपियन (CE), चाइना कंपलसरी सर्टिफिकेट (CCC) के लिए किए गए व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में उपलब्ध करायेगा। यह सुविधा प्रथम 25 निर्यातक इकाईयों/परियोजनाओं को अनुमन्य होगी।

vii. **ई–सहायता (ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उत्पादों की बिक्री)***:** राज्य सरकार प्रत्येक इकाई को अपने उत्पादों का ऑनलाइन राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्लेटफार्मों जैसे स्नैपडील, अमेजॅन, अलीबाबा इत्यादि के माध्यम से बेचने हेतु ई–कॉमर्स कम्पनियों के कमीशन तथा भुगतान किये गये लॉजिस्टिक / परिवहन लागत पर रू. 1 लाख तक (प्रथम 100 निर्यातक इकाईयों को) की प्रतिपूर्ति सहायता वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी।

viii. **बैंक से लिये गये कार्यशील पूंजी पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति**:** निर्यातकों द्वारा उत्पाद के निर्यात के लिए बैंकों से ली गयी कार्यशील पूंजी पर देय ब्याज में 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 3 लाख प्रतिवर्ष (प्रथम 30 निर्यातक इकाईयों को) की प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता निर्यातक की निर्यात परफ़ॉर्मेंस के आधार पर दी जायेगी।

ix. **सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना:** विदेश व्यापार विभाग, भारत सरकार की भारत सेवा निर्यात योजना (SEIS) के अन्तर्गत सेवा निर्यात के तहत लाभ / वित्तीय प्रोत्साहन लेने के लिए राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

x. **जागरूकता कार्यक्रम:** क्षमता निर्माण/संवेदीकरण और जागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु रू. 75 लाख प्रतिवर्ष की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त वित्तीय प्रोत्साहन नयी निर्यातक इकाईयों के अतिरिक्त विद्यमान निर्यातक इकाईयों, जो विद्यमान इकाई का विस्तार करना चाहते हैं, को भी अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार नीति के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगी और इसे अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

7.6 साझेदारी

राज्य सरकार संभावित निर्यात बाजारों की पहचान करने में सहायता करेगी। यह विदेशों के दूतावास कार्यालयों में व्यापार केंद्रों के साथ जुड़कर निर्यात प्रोत्साहन डेस्क के साथ संबंध स्थापित करेगा।

राज्य में निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु सरकार ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES), माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE & CDP) आदि योजनाओं का लाभ उठाएगी।

राज्य सरकार मौजूदा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और संबंधित निर्यात परिषदों के शिविर कार्यालयों की स्थापना के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, जैसे FIEO, IIFT, EEPC, SEPC, ECGC, चाय बोर्ड आदि के साथ भी सहयोग करेगी।

राज्य विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ समन्वय करेगा तथा निर्यातकों को विभिन्न निर्यात वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी।

****

नोटः

- *मौजूदा इकाइयों पर लागू।
- **सेवा क्षेत्र की इकाईयों को भी अनुमन्य।
- ***एक ही प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ केवल एक ही नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है।
- सारभूत विस्तारः सारभूत विस्तार से क्षमता/आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण के विस्तार के उद्देश्य से एक औद्योगिक इकाई के संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25% से अधिक की अभिवृद्धि अभिप्रेत है।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पंचायतीराज अनुभाग–2

विज्ञप्ति

17 दिसम्बर, 2021 ई०

संख्या 392/Xii (2)/2021-AQ-5/2021--उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम--2016 की भाग--तीन-- अध्याय--नौ की धारा--50(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय वर्तमान में जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड "घाट" का नाम विकासखण्ड "नन्दानगर" के रूप में परिवर्तित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त विज्ञप्ति दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी मानी जायेगी।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2021 ई०

संख्या 1456/Vii-3-21/182-उद्योग/2001--श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् नियमावली 2018 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या--297/VII-II/182--उद्योग/2001 दिनांक 03 जून, 2011 एवं अधिसूचना संख्या--1227/VII-3-18/182--उद्योग/2001 दिनांक 21 जून, 2018 के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुकरीकरण परिषद् में सदस्य के रिक्त पद पर श्री बृजपाल सिंह अरोड़ा, एडवोकेट को विधि विशेषज्ञ नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि परिषद् के उपरोक्त सदस्य की पदावधि 01 वर्ष की होगी और वे नियमावली के नियम 8 में उल्लिखित कृत्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

आज्ञा से,

देव कृष्ण तिवारी,
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग–02

कार्यालय ज्ञाप

09 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1179/XXIV-C-2/2021-01(घो0)2014–एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय कन्या महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, जनपद हरिद्वार का नाम "रानी धर्म कुँवर राजकीय कन्या महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शुद्धि–पत्र

12 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1237/XXIV-C-2/2021-01(घो0)2014–कार्यालय ज्ञाप संख्या 1179/XXIV-C-2/2021-01(घो0)2014 दिनांक 09 नवम्बर, 2021 में राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर जनपद हरिद्वार के नाम में त्रुटिवश कन्या टंकित हो गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुये महाविद्यालय का नाम 'रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)' पढ़ा जाय।

उक्त कार्यालय ज्ञाप केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जनवरी, 2022 ई0 (पौष 25, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र

08 नवम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 705/2021–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के परिपत्र संख्या–4523/XIV–a/34/Admin.A/2013, दिनांकित 17 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिनांक 11–10–2021 से दिनांक 01–11–2021 तक (दिनांक 09–10–2021 को द्वितीय शनिवार अवकाश, 10–10–2021 को रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 02–11–2021 से दिनांक 06–11–2021 तक दीपावली अवकाश एवं दिनांक 07–11–2021 को रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) कुल बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृती के फलस्वरूप उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 08–11–2021 को पूर्वाह्न में मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित,	रश्मि गोयल,
ह0 (अस्पष्ट)	सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
जनपद न्यायाधीश,	पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़।	

कार्यभार छोड़ने का प्रमाण पत्र

10 नवम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 723/2021–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 08.11.2021 से दिनांक 04.12.2021 तक (प्रीफिक्स अवकाश दिनांक 02.11.2021 से 07.11.2021 तक दीपावली अवकाश व सफिक्स अवकाश दिनांक 05.12.2021 रविवार अवकाश) अर्जित अवकाश हेतु न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ का पदभार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक–5073/XIV–a-45/Admin.A/2015/Dated Oct 23, 2021, द्वारा स्वीकृत होने पर दिनांक 01.11.2021 की अपराह्न में छोड़ा गया।

प्रति हस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

बीनू गुलयानी,
सिविल जज (जू0डि0),
डीडीहाट जिला–पिथौरागढ़।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 15, 2021

No. 374/XIV/a-39/Admin.A/2009--Ms. Jyotsna, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital, is hereby sanctioned child care leave for 120 days w.e.f. 16.08.2021 to 13.12.2021.

NOTIFICATION

December 15, 2021

No. 375/XIV-a-28/Admin.A/2020--Ms. Jasmeet Kaur, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 08.11.2021 to 07.12.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 01, 2021

No. 376/XIV/13/Admin.A/2008--Shri Manish Kumar Pandey, Additional Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 17.11.2021 to 05.12.2021 with permission to prefix 15.11.2021 & 16.11.2021 as weekly off & second Saturday respectively and suffix 06.12.2021 as weekly off.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 16, 2021

No. 377/XIV-a-45/Admin.A/2015--Ms. Beenu Gulyani, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh, is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 08.11.2021 to 04.12.2021 with permission to prefix 02.11.2021 to 06.11.2021 as Deepawali holidays respectively and 07.11.2021 as Sunday holiday and suffix 05.12.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 16, 2021

No. 378/XIV-a/38/Admin.A/2012--Ms. Shachi Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.11.2021 to 04.12.2021 with permission to suffix 05.12.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 16, 2021

No. 379/XIV-21/Admin.A/2008--Ms. Rajani Shukla, 3rd Additional District Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 24.11.2021 to 08.12.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03—भाग 1—क—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या—UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जनवरी, 2022 ई० (पौष 25, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी एल0आई0सी0 पालिसी संख्या 272889078 में मेरा नाम त्रुटि से अभिषेक कुशवाहा दर्ज हो गया है जो कि गलत हैं सही नाम अविशेष कुशवाहा है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अविशेष कुशवाहा पुत्र दीपचंद कुशवाहा
निवासी नगला इमरती, मिलापनगर, रूडकी,
जिला हरिद्वार

सूचना

मैंने अपना नाम सुनीता कुमारी से बदलकर सीमा कर लिया है, भविष्य में मुझे सीमा पत्नी प्रीतम सिंह के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सीमा पत्नी प्रीतम सिंह
निवासी टी–6 वर्कशाप
कालोनी पठानपुरा, रूडकी

सूचना

मेरे नौसेना के सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम Vimla Bhandari दर्ज है। जो कि गलत है। जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक नाम Vimala Bhandari है। भविष्य में मेरी पत्नी को Vimala Bhandari W/o Laxman Singh, Ex. MCEAR-2 No. 191317-N के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 जे0एस0 भंडारी
निवासी बी–7, माँ सरस्वती विहार
कालोनी (देवी मंदिर के पास) आर.के.
टैंट हाउस रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी
नैनीताल, उत्तराखण्ड–263139

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।